पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–02/2012................ 233

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची /दुमका,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 16-3-13

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष–33–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰ आई॰ बी॰ पी॰ केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200101330545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1	50–लघ सिंचाई विभाग/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय	101–सतही जल/ 33–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए॰ आई॰ बी॰ पी॰केन्द्रांश)	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण 50P470200101330545	**350.00**
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ पचास लाख मात्र ।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2012–13 के संशोधित बजट उपबंध **₹ 8529.00 लाख (₹ पचासी करोड़ उन्नतीस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी०सी० निगम)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. **AIBP** योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 233 रॉची, दिनांक :– 16-3-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड; पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, **राँची/धनबाद/देवघर/गढ़वा/पलामू** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 233 रॉची, दिनांक :– 16-3-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(जयप्रकाश भट्टाचार्या) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव	**(एस॰ के॰ शतपथी)** **प्रधान सचिव**

पत्रांक – 233 /रॉची, दिनांक – 16-3-13 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उपशीर्ष–33–लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश)
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200101330545
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2012–13) रू॰ 8529.00 लाख।

(लाख रू. में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2011 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रृखंलाबद्ध चेकडैम का निर्माण											
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद	धनबाद	बलियापुर	घी जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	145.607	0.000	245.000	90.000	335.000	
			निरसा	विल्ली जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	74.976	0.000				
			निरसा	करितार जोरिया पर चेकडैम	47/07.03.11	27.399	0.000				
			बलियापुर	घी जोरिया में सैरयाभीड्डा चेकडैम (दोलावर)	47/07.03.11	41.816	0.000				
			टुण्डी	करमाटांड़ जोरिया में चेकडैम	47/07.03.11	33.892	0.000				
			टुण्डी	कोलकमाटडीह जोरिया में चेकडैम	47/07.03.11	28.884	0.000				
			टुण्डी	कनई डीह जोरिया में चेकडैम	47/07.03.11	27.820	0.000				
					योग	**380.394**	**0.000**	**245.000**	**90.000**	**335.000**	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	गढ़वा	रंका	केदाल नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	222.842	0.986	215.000	60.000	275.000	
			रमना	पिपरदाहा नाला पर श्रृ.चेकडैम	47/07.03.11	137.448	27.200				
			मझिऑव	सुगवा नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	50.460	0.000				
			मझिऑव	बलिगढ़वा नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	35.602	0.000				
			मझिऑव	कसिया नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	34.612	6.800				
					योग	**480.964**	**34.986**	**215.000**	**60.000**	**275.000**	
3	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर	देवघर	सारवॉ	आमगाछी जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	92.535	0.000	330.000	200.000	530.000	
			सारवॉ	खिजुरिया जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	103.710	0.000				
			मोहनपुर	बाराडीह रंगाजोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	83.358	0.000				
			सारवॉ	कुरूम टांड जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	94.290	0.000				
			मधुपुर	बाघशिला कोयरीडीह जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	135.467	0.000				
			मधुपुर	कंसजोर जोरिया पर श्रृ॰ चेकडैम	47/07.03.11	63.025	0.000				
					योग	**572.385**	**0.000**	**330.000**	**200.000**	**530.000**	
					सकल योग	**1433.743**	**34.986**	**790.000**	**350.000**	**1140.000**	

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ पचास लाख मात्र ।

(ओंकार नाथ)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰सी॰ निगम)	(एस॰ के॰ शतपथी)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	प्रधान सचिव